न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :–45/2018/भीलवाड़ा

1. घासी पुत्र मोहन जाति गाडरी निवासी ग्राम सांडासं तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र चतरूदास जाति बैरागी निवासी ग्राम मेहन्दी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. माधू पुत्र गोकल
3. सुखा पुत्र परसा
4. भैरू पुत्र जवाहरलाल
5. गटटू बैवा बालूराम,

समस्त जाति गाडरी निवासी ग्राम सांडासं तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।

6. बालुदास पुत्र चतरूदास जाति बैरागी निवासी ग्राम मेहन्दी तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।

.....रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा दिनांक 08.01.2018 प्रकरण संख्या 57/2017 उनवानी मांगीलाल बनाम माधू में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री एम0एल0गुर्जर (अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभि0:–श्री राकेश आरोड़ा

निर्णय दिनांकः–04.08.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 1 मांगीलाल पुत्र चतरूदास वैरागी द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 2 से 6 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम सांडासं की उसकी खातेदारी खसरा नम्बर 803 रकबा 0.68 हे0 हेतु पत्थरगढ़ी करने के लिए निवेदन किया। अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया। मगर उपखण्ड अधिकारी जिला पूल द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2018 से रेस्पो0 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पत्थरगढ़ी बाबत आदेश प्रदान किया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है–

1. सरसरी तौर पर निर्णय प्रदान किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

2. रेस्पो0 ने सीमा संबंधित कोई विवाद अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताया है फिर भी पत्थरगढ़ी की गई है।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर में विचाराधीन होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पो0 1 के पक्ष में पत्थरगढ़ी का आदेश दिया है। जिसकी आड़ में वह अपीलांट के खसरा नम्बर 801 व 802 पर कब्जा करना चाहता है।

4. अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य कोई विवाद नहीं है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपीलांट के वर्तमान खातेदारी खसरा नम्बर 801 व 802 का नया नक्शा गत नक्शे की तुलना में छोटा कर दिया है तथा 0.02 हे0 भूमि को खसरा नम्बर 803 के नक्शे में मिला दिया। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2018 को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है तथा एक अन्य स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही अपील मीमो के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपी भी प्रस्तुत की। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रिकोर्ड तलब किये जाने का आदेश दिया गया। आदेश दिया जाकर रिकोर्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2018 प्रशासन गांवों के संग अभियान के द्वारा पारित किया गया था। हमारा कंटेन्शन था और पीठासीन अधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। हमारी खातेदारी में ख0न0 801 व 802 है जो हमने सवाईसिंह से खरीदे थे । बाड का झगड़ा है। सीमा ज्ञान नहीं हुआ है। मुस्तकिल पाइंट से नापे वकील रेस्पो0 द्वारा बताया गया कि ख0न0 803 उनकी खातेदारी का है। रकबा 0.68 हे0 है तथा जमाबंदी अनुसार ही नक्शा बना हुआ है। अतः अपील खारिज किया जायें। रिब्युटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि धारा 136 एल0आर0एक्ट में उनका प्रार्थना पत्र पैडिंग है। अपील स्वीकार की जायें। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार उन्हें अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2018 की जानकारी दिनांक 15.05.2018 को उस समय हुई जब रेस्पो0 ने विवादित भूमि पर आकर अपीलांट को धमकी दी कि प्रकरण का निस्तारण हो गया है और इस भूमि से अब हम अपीलांट को इस भूमि से बेदखल करेगें। यह होने पर अपीलांट गंगापुर जाकर नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 17.05.2018 नकल प्राप्त करवायी। अतः अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जायें। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 21.05.2018 को दर्ज होना पाया गया है। अतः जानकारी दिनांक से अपील को मियाद अवधि में प्रस्तुत किया माना जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मुख्य रूप से अपीलांट का यह मानना है कि रेस्पो0 नम्बर 1 पत्थरगढ़ी के आदेश की आड़ में अपीलांट की भूमि पर काबिज हो जायेगा। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो जायेगी।

अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी ग्राम सांडासं खाता नम्बर नया 106 के अनुसार खसरा नम्बर 803 रकबा 0.68 हे0 मांगीलाल पिता चतरूदास वैरागी क नाम दर्ज है। रेस्पो0 1 उक्त खसरा नम्बर का खातेदार होकर पत्थरगढ़ी करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण नम्बर 57/2017 में जवाब का अवसर दिया गया था तो उनके द्वारा जवाब दिया जाना भी पाया जाता है। आवश्यक पक्षकारों का भी संयोजन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र में किया जाना पाया जाता है। जहां तक अपीलांट द्वारा यह कहा जाना कि उसके द्वारा धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत नक्शे सुधार के लिएं कार्यवाही की जा रही है। इसके संबंध में कोई दस्तावेज, अपीलांट ऑर्डरशीट प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता है। साथ ही बहस में अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि रेस्पो0 1 व अपीलांट के मध्य खेतो की बाड़ का विवाद है तथा अभी तक सीमा जानकारी नहीं की गई है। और मुस्तकिल पाइंट से नापा जायें। इन बिन्दुओं पर न्यायालय का यह मानना है कि पत्थरगढ़ी करते समय सीमाज्ञान उस समय मुस्तकिल पाइंट से ही जरीब को चलाकर नाप–जौख किया जायें। पत्रावली इसी अनुसार विस्तारित की जाती है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी गंगापुर दिनांक 08.01.2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट 1956 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

मेरे द्वारा यह आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested